LF 418/80

'PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(ii)
AS GSR NO. 146 DATED 2-2-1980.

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel, Mines and Coal(Ispat, Khan Aur Koyla Mantralaya)
Department of Mines(Khan Vibhag)

...

New Delhi, the 16th January, 1980
Pausa 26, 1901 Saka

N O T I F I C A T I O N

G.S.R. 146. In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development)Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, for rules 58 to 60, the following rules shall be substituted, namely:-

"58. Reservation of areas for exploitation in the public sector, etc. - The State Government may, by notification in the Official Gazette, reserve any area for the exploitation by the Government, a Corporation established by any Central, State or Provincial Act or a Government company within the meaning of section617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

59. Availability of area for regrant to be notified,-

(1) No area -

(a) which was previously held or which is being held under a prospecting licence or a mining lease; or

(b) in respect of which an order had been made for the grant of a prospecting licence or mining lease, but the applicant has died before the grant of the licence or the execution of the lease, as the case may be; or

(c) in respect of which the order granting a licence or lease has been revoked under sub-rule (1) of rule 15 or sub-rule (1) of rule 31; or

....2/-

(d) in respect of which a notification has been issued under sub-section (2) or sub-section (4) of section 17; or

(e) which has been reserved by Government under rule 58,

shall be available for grant unless -

(i) an entry to the effect that the area is available for grant is made in the register referred to in sub-rule (2) of rule 21 or sub-rule (2) of rule 40, as the case may be, in ink; and

(ii) the availability of the area for grant is notified in the Official Gazette and specifying a date (being a date not earlier than thirty days from the date of the publication of such notification in the Official Gazette) from which such area shall be available for grant:

Provided that nothing in this rule shall apply to the renewal of a lease in favour of the original lessee or his legal heirs notwithstanding the fact that the lease has already expired:

Provided further that where an area reserved under rule 58 is proposed to be granted to a Government company, no notification under clause (ii) shall be required to be issued.

(2) The Central Government may, for reasons to be recorded in writing relax the provisions of sub-rule (1) in any special case.

60. Premature applications.- Applications for the grant of a prospecting licence or mining lease in respect of areas whose availability for grant is required to be nofified under rule 59 shall, if,-

...3/-

(a) no notification has been issued under that rule; or

(b) where any such notification has been issued, the period specified in the notification has not expired,

shall be deemed to be premature and shall not be entertained, and the application fee thereon, if any paid, shall be refunded."

File No. 3(51)/74-MVI

(Parsan Chandra)
Under Secretary to the Government of India.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3(i) में साoकाoनिo 146 दिनांक 2-2-1980 के रूप में प्रकाशित

भारत सरकार

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

खान विभाग

....

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 1980
26 पौष, 1901 (शक)

अधिसूचना

साoकाoनिo 146 केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, नियम 58 से 60 तक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"58 पब्लिक सेक्टर आदि में विदोहन के लिए क्षेत्रों का आरक्षण:-

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार द्वारा, केन्द्रीय राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत सरकारी कंपनी द्वारा विदोहन के लिए कोई भी क्षेत्र आरक्षित कर सकेगी।

59 पुनः अनुदान के लिए क्षेत्रों की उपलब्धता अधिसूचित की जाएगी -

(1) कोई भी ऐसा क्षेत्र -

(क) जो किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले धारण किया गया था या धारित है; या

(ख) जिसकी बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा देने के लिए आदेश कर दिया गया था किन्तु यथास्थिति अनुज्ञप्ति के अनुदान या पट्टा निष्पादन से पूर्व आवेदक की मृत्यु हो गई है; या

(ग) जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति या पट्टे के अनुदान का आदेश, नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहृत कर दिया गया है; या

(घ) जिसकी बाबत धारा 17 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है; या

....2/ ...

(ङ) जिसे नियम 58 के अधीन सरकार ने आरक्षित कर दिया है, अनुदान के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि, -

(i) नियम 21 के उपनियम (2) या नियम 40 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट रजिस्टर में इस प्रभाव की लिखित प्रविष्टि नहीं कर दी जाती कि वह क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध है ; और

(ii) अनुदान के लिए क्षेत्र की उपलभ्यता राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती और उसमें वह तारीख (जो कि अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन से पूर्व की नहीं होगी) विनिर्दिष्ट नहीं कर दी जाती जिससे वह क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध होगा :

परन्तु इस नियम की कोई भी बात इस बात के होते हुए भी मूल पट्टेदार या उसके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में पट्टे के नवीकरण को लागू नहीं होगी कि पट्टा पहले ही समाप्त हो चुका है :

परन्तु यह और कि जहां नियम 58 के अधीन आरक्षित किसी क्षेत्र का अनुदान किसी सरकारी कम्पनी को किया जाना है, वहां खण्ड (ii) के अधीन अधिसूचना जारी करना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे किसी विशेष मामले में उपनियम (1) के उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।

60. समय पूर्व आवेदन- ऐसे क्षेत्रों की बाबत, जिनके अनुदान के लिए उपलभ्यता को नियम 59 के अधीन अधिसूचित करना अपेक्षित है, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए आवेदन समय पूर्व आवेदन समझा जाएगा और ग्रहण नहीं किया जाएगा तथा उस पर आवेदन फीस, यदि कोई संदत्त की गई है, लौटा दी जाएगी,

(क) जब उस नियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है ; या
(ख) जहां ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है ।''

(फा०सं० 3(51)/74 एम 6)

प्रसन्न चन्द्र

(प्रसन्न चन्द्र)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली ।